



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को **आजीवन कारावास व ₹15,000 के अर्थ दंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अ०सं० 159/2019, धारा- 302 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्त **नफीस अहमद पुत्र नूरबक्स** निवासी लक्ष्मीबाई तिराहा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को **आजीवन कारावास व ₹15,000 अर्थ दण्ड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री विशम्भर  
पाल



विवेचक निरी० श्री  
कुशलपाल सिंह



पैरोकार कोतवाली नगर  
श्री का० बिजमान सिंह